पत्र संख्या-3ए-2-5-भत्ता-12/99 - 4335

बिहार सरकार,

वित्त विभाग ।

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक - 18.05.2011

विषयः- राज्य के कर्मियों को पोशाक/वर्दी/जूता की आपूर्त्ति एवं वर्दी सिलाई दर में संशोधन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के परिपत्र सं0-1442 दिनांक-08.03.2000 एवं परिपत्र सं0-1464 दि0-13.03.2001 द्वारा राज्य के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों एवं चालकों को वर्दी की आपूर्ति एवं दर के संबंध में दिशानिर्देश तथा वित्त विभागीय पत्रांक-7477 दि0-08.11.2001 द्वारा वर्दी की सिलाई दरों का निर्धारण किया गया था ।

2. राज्य सरकार के समक्ष चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों एवं चालकों को आपूर्त्ति किये जाने वाले वर्दी को दरों एवं वर्दी की सिलाई दरों में संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन था ।

3. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार ने चतुर्थ वर्गीय कर्मियों एवं चालकों को आपूर्त्ति किये जाने वाले वर्दी की दरों एवं वर्दी की सिलाई दरों को निम्नरुपेण स्वीकृत करने का निर्णय लिया है :-

(क) वर्दी दर

	मद	निर्धारित दर
(i)	टेरीकॉट पैंट	120/- रू0 प्रति मीटर
(ii)	टेरीकॉट कमीज	120/- रू0 प्रति मीटर
(iii)	उनी कपड़ा	250/- रू0 प्रति मीटर
(iv)	उनी जर्सी	250/- रू0 प्रति अदद
(v)	उनी मोजा	50/- रू0 प्रति जोड़ा
(vi)	साड़ी	225/- रू0 प्रति अदद
(vii)	पेटीकोट	50/- रू0 प्रति मीटर
(viii)	ब्लाउज	55/- रू0 प्रति मीटर
(ix)	लेडिज हाफकोट	250/- रू0 प्रति मीटर
(x)	उनी जर्सी (महिला)	250/- रू0 प्रति अदद
(xi)	छाता	150/- रू0 प्रति अदद
(xii)	चप्पल	300/- रू0 प्रति जोड़ा
(xii)	जूता	650/- रू0 प्रति जोड़ा

(ख) सिलाई दर

मद		निर्धारित दर
(i)	फुल पैंट	150/- रू0 प्रति पीस
(ii)	फुल शर्ट	70/- रू0 प्रति पीस
(iii)	उनी सूट	750/- रू0 प्रति पीस
(iv)	ब्लाउज	45/- रू0 प्रति पीस
(v)	पेटीकोट	40/- रू0 प्रति पीस
(vi)	लेडिज हाफकोट	600/- रू0 प्रति पीस
(vii)	पैजामा	50/- रू0 प्रति पीस
(viii)	हाफ पैंट	50/- रू0 प्रति पीस
(ix)	सूती कमीज	80/- रू0 प्रति पीस

4. उपर्युक्त दरों की अधिसीमा में उपर वर्णित वित्त विभागीय पत्रों के द्वारा निर्धारि मापदण्डों एवं नियमों के अधीन सामग्रियों की आपूर्त्ति की जायेगी ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक - 3ए-2-5-भत्ता-12/99 - 4335 पटना, दिनांक :- 18.05.2011

प्रतिलिपि-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी व सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव ।